प्रेस नोट
उप-राष्ट्रपति चुनाव, 2025
भारत निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए
दिनांक: 25.07.2025

1. भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 के तहत, भारत के उप-राष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव कराना सुनिश्चित करता है। यह चुनाव **राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952** एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, अर्थात **राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974** के अधीन होता है।

2. **राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952** की धारा 3 के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार से परामर्श कर एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होता है। साथ ही, आयोग एक या अधिक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त कर सकता है। परंपरा अनुसार, लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। पिछली बार उप-राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा महासचिव को यह दायित्व सौंपा गया था।

3. अतः, भारत निर्वाचन आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय से परामर्श एवं राज्यसभा के माननीय उपसभापति की सहमति से, आगामी उप-राष्ट्रपति चुनाव, 2025 हेतु राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है।

4. भारत निर्वाचन आयोग ने उप-राष्ट्रपति चुनाव, 2025 के दौरान, राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव *सुश्री गरिमा जैन* एवं निदेशक *श्री विजय कुमार* को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है।

5. इस संबंध में आवश्यक राजपत्र अधिसूचना आज पृथक रूप से जारी की जा रही है।